गांधीवादी दृष्टिकोण में कल्याणकारी राज्य का सिद्धांत

ऋतेश भारद्वाज

सार

गांधीवादी दृष्टिकोण में कल्याणकारी राज्य के सिद्धांत की झलक हमें उनके जीवन की आत्मकथा और जीवन में किए गए अनेक प्रयोगों में दिखाई देती है। अन्य दार्शनिकों की भांति गांधी जी ने भी इस प्रश्न पर विचार किया कि राज्य का चरम लक्ष्य क्या होना चाहिएघ् वह कौन.कौन से कार्य हैं जो इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए राज्य को करने चाहिए और कौन से कार्य राज्य को नहीं करने चाहिएघ् गांधी का कल्याणकारी राज्य का दृष्टिकोण, सर्वोदय के सिद्धांत के रूप में सदैव एक आदर्श बना रहेगा। सर्वोदय का आदर्श है द एक ऐसा चरम आदर्शए जिसकी कभी भी शत.प्रतिशत पूर्ति और प्राप्ति नहीं हो पाएगी, लेकिन जिसकी ओर राज्य हमेशा अधिक.से.अधिक अग्रसर होता रहेगा। प्रस्तुत लेख में गांधी जी के कल्याणकारी राज्य के आदर्श की विवेचना की गई है। इसमें गांधीजी के मानकीय व अनुभाविक उपागम का वर्णन करते हुए इसकी वर्तमान प्रसंगिकता को देखने का प्रयास किया गया है।

मुख्य बिंदुः कल्याणकारी राज्य, सर्वोदय, बहुमतवाद, अल्पमतवाद, सत्याग्रह, अहिंसा।

गांधीवादी दृष्टिकोण में कल्याणकारी राज्य के सिद्धांत की झलक हमें उनके जीवन की आत्मकथा और जीवन में किए गए अनेक प्रयोगों में दिखाई देती है। अन्य दार्शनिकों की भांति गांधी जी ने भी इस प्रश्न पर विचार किया कि राज्य का चरम लक्ष्य क्या होना चाहिए वह कौन.कौन से कार्य हैं जो इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए राज्य को करने चाहिए और कौन से कार्य राज्य को नहीं करने चाहिएघ् गांधी की पाश्चात्य चिंतकों के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों पर अच्छी पकड़ थी। उदारवादियों तथा आदर्शवादियों के दर्शन से भी वे भली.भांति परिचित थे। उन्होंने पश्चिम के बहुमतवादियों तथा अल्पमतवादियों के सिद्धांतों का गहन अध्ययन किया था और उनमें से किसी के भी आदर्श से वे पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे। गांधी ने जरमी बेंथम और जॉन स्टूअर्ट मिल के सिद्धांतों का विस्तार से अध्ययन किया था और उनकी राज्य के उद्देश्यों संबंधी अवधारणाओं से वह भली.भांति परिचित थे। राज्य के उद्देश्यों को बेंथम ने उपयोगितावाद के संदर्भ में कहा था कि ष्अधिक से अधिक लोगों का अधिक से अधिक सुखश् की संज्ञा दी थी। बेंथम का कहना था कि यदि राज्य बहुमत को सुखी और खुशहाल बना दे तो वह अपना कल्याणकारी राज्य का लक्ष्य पूरा कर लेगा। खुशहाली से बेंथम का अभिप्राय ष्आर्थिक कल्याणष् से था। बेंथम के अनुसारए यदि राज्य बहुमत की रोटी, कपड़े और मकान के आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा कर देए तो यह लोगों के लिए पर्याप्त होगा। गांधी, बेंथम के अधिक-से-अधिक लोगों की अधिक-से-अधिक खुशहाली के सिद्धांत से संतुष्ट नहीं थे, उनका कहना था कि

यदि राज्य बहुमत को अल्पमत की कीमत पर खुशहाल बनाता है तो यह एक अनैतिक कार्य होगा क्योंकि राज्य को बहुमत और अल्पमत में विभेद नहीं करना चाहिए और फिर वह किसी एक व्यक्ति की कीमत पर दूसरे व्यक्ति की खुशहाली का उद्देश्य अपने सामने क्यों रखें। इस सिद्धांत की आलोचना करते हुए गांधी की दूसरी मान्यता यह थी कि इस सिद्धांत को मानने से तो राज्य केवल अपने राजनीतिक स्वार्थ को ही पूरा करेगा क्योंकि किसी भी सरकार को बहुमत की आवश्यकता ना केवल सत्ता में आने के लिए होती हैए बल्कि सत्ता में बने रहने के लिए होती है। यदि सरकार उस बहुमत की खुशहाली के लिए काम करती है, जिसकी उसे ना केवल सत्ता में आने के लिए जरूरत है, बल्कि सत्ता में बने रहने के लिए भी उनका समर्थन अनिवार्य है तो यह मात्र एक स्वार्थपूर्ण कार्य होगा ना कि कोई परोपकारी कार्य। इसके अलावा यदि राज्य बहुमत की आर्थिक खुशहाली के लिए ही कार्य करेगाए तो वह आर्थिक खुशहाली उसके जीवन के अन्य क्षेत्रों की खुशहाली की कीमत पर होगी ऐसा करने से राज्य में दो प्रकार का असंतुलन पैदा हो सकता है। पहला, बहुमत की भलाई अल्पमत की कीमत पर तथा दूसरा आर्थिक खुशहाली अन्य क्षेत्रों की कीमत पर।

गांधीए बेंथम के उपयोगितावादी सिद्धांत के बजाय उपयोगितावाद में संशोधन करने वाले जॉन स्टूअर्ट मिल के सिद्धांत के प्रति ज्यादा आकर्षित थे। जॉन स्टूअर्ट मिल का मानना था कि राज्य का लक्ष्य होना चाहिए, अधिक से अधिक लोगों की अधिक से अधिक क्षेत्रों में भलाई। जॉन स्टूअर्ट मिल के अनुसारए राज्य को बहुमत की भलाई अथवा उसका कल्याण जीवन के सभी क्षेत्रों में करना चाहिए। राज्यों को तो आर्थिक क्षेत्र से आगे बढ़कर सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, आर्थिक और राजनैतिक क्षेत्रों में बहुमत का कल्याण करना चाहिए। गांधीजी के दृष्टिकोण में, जॉन स्टूअर्ट मिल का बहुमतवादी सिद्धांत ;उपयोगितावाद में संशोधनद्, बेंथम के उपयोगितावाद सिद्धांत की तुलना में ज्यादा अच्छा और व्यापक है।

गांधीजी अल्पमतवादियों के कल्याणकारी राज्य के उद्देश्य की अवधारणा से भी भली-भांति परिचित है और उसका भी उन्होंने गहन और आलोचनात्मक अध्ययन किया था। गांधी का अल्पमत से परिचय जॉन रस्किन की पुस्तकए ष्ष्अंटू दी लास्टश् ने करवाया। गांधी ने अपनी आत्मकथा ; सत्य के साथ किए गए मेरे प्रयोगः में स्वीकार किया है कि वह इससे बहुत प्रभावित हुएए इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने इसकाए अपने पाठकों के हितों को ध्यान में रखते हुए गुजराती में अनुवाद किया औरए रास्किन की इस पुस्तक को ष्अंत्योदयष् की संज्ञा दी। जॉन रस्किन के अनुसारए राज्य का उद्देश्य होना चाहिएए उस उपेक्षित अल्पमत का कल्याण अथवा भलाई जिसकी किसी को ना तो सत्ता में आने के लिए जरूरत होती हैए और ना ही सत्ता में बने रहने के लिए। इसलिएए उसकी भलाई के लिए आमतौर पर यह मान लिया जाता है कि राज्य कुछ भी ना करें और उसकी पूरी उपेक्षा भी कर दे तो भी राज्य का काम चलता रहेगा। रस्किन की मान्यता थी कि यदि राज्य उस अपेक्षित अल्पमत के कल्याण को अपना उद्देश्य बना ले तो वह एक परोपकारी काम होगा ना कि स्वार्थ सिद्धि के लिए उठाया गया कोई कदम।

गांधी ने बहुमतवाद के आदर्श की तरहए अल्पमतवाद के आदर्श को भी अपूर्ण मानाए क्योंकि इसमें अल्पमत के कल्याण का आदर्श बहुमत के कल्याण की कीमत पर रखा गया है। गांधी का तर्क यहां पर यह था कि जैसे राज्य को बहुमत का कल्याण अल्पमत की कीमत पर नहीं करना चाहिएए वैसे ही उसे अल्पमत का कल्याण बहुमत के कल्याण की कीमत पर नहीं करना चाहिए। यहां पर गांधीजी के सामने सबसे बड़ा प्रश्न यह था कि बहुमत का कल्याण करना राज्य के लिए संभव होगाए परंतु अल्पमत का कल्याण बहुमत की कीमत पर करना तो बिल्कुल संभव नहीं होगा। बहुमत को यदि पता लग जाए कि जो सरकार उसने बनाई है वह उसकी भलाई करने के बजाएए केवल अल्पमत की भलाई करना चाहती हैए तो बहुमत उसे ऐसा करने नहीं देगा और ऐसा करने से पहले ही बहुमत उसे पदच्युत कर देगा।

कल्याणकारी राज्य का उद्देश्यः सर्वोदय

गांधीजी के कल्याणकारी राज्य के उद्देश्य के रूप में बहुमतवादी और अल्पमतवादी सिद्धांतों का समन्वय गांधी का राजनीतिक दर्शन को एक विशिष्ट योगदान है। गांधी ने पाया कि बहुमतवाद तथा अल्पमतवाद के आदर्श अपूर्ण ना होकर एक दूसरे के पूरक है। गांधी के सर्वोदय के सिद्धांत में बहुमत और अल्पमत दोनों हैए दोनों ही समान रूप से गांधी के सर्वोदय के आधार व स्रोत है। गांधी का सर्वोदय का सिद्धांत संस्कृत भाषा के दो शब्दोंए सर्व तथा उदय की संधि हैए जिसका शाब्दिक अर्थ हैए ष्सबकी भलाईष्ए ष्सबका कल्याणष् और ष्सबका उत्थानष्। गांधी के अनुसारए कल्याणकारी राज्य का यह उद्देश्य होना चाहिए कि सभी लोगों कीए जीवन के सभी क्षेत्रों में भलाई या कल्याण हो चाहे वह क्षेत्र सामाजिक हो या सांस्कृतिकए धार्मिक हो या शैक्षिकए आर्थिक हो या राजनैतिक। कल्याणकारी राज्य का सच्चा आदर्श होना चाहिए सभी का जीवन के सभी क्षेत्रों में कल्याण।

गांधी का कल्याणकारी राज्य का दृष्टिकोणए सर्वोदय के सिद्धांत के रूप में सदैव एक आदर्श बना रहेगा। सर्वोदय का आदर्श है द्द एक ऐसा चरम आदर्शए जिसकी कभी भी शत.प्रतिशत पूर्ति और प्राप्ति नहीं हो पाएगीए लेकिन जिसकी और राज्य हमेशा अधिक.से.अधिक अग्रसर होता रहेगा। गांधी के सपनों का राज्य शायद बहुमत के कल्याण से आरंभ होगाए लेकिन बहुमतवादियों के आदर्श की तरह बहुमत के कल्याण पर समाप्त नहीं होगा। गांधी के सर्वोदय के सिद्धांत में राज्य अपने आदर्श की और हमेशा अधिक से अधिक बढ़ता तो रहेगाए लेकिन उसे कभी भी शत.प्रतिशत प्राप्त नहीं कर पाएगा। इस प्रकारए राज्य कभी भी आदर्श.विहीनए उद्देश्य.विहीन और लक्ष्य.विहीन नहीं होगाए उसके सामने प्रगति का अवसर सदैव रहेगा। गांधी के सर्वोदय के सिद्धांत में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि लोग राज्य से यह तो अपेक्षा करेंगे कि वह अधिक.से.अधिक लोगों अथवा सभी लोगों के जीवन के सभी क्षेत्रों में कल्याण का आदर्श

अपने सामने रखें। लेकिनए इसका यह अर्थ बिल्कुल नहीं है कि राज्य सबके लिए सब कुछ करने का उत्तरदायित्व केवल अपने ऊपर ले ले और सब लोग खाली बैठ जाए और शासन पर पूरी तरह निर्भर हो जाए।

गांधी पर अमेरिकी विचारकए हेनरी डेविड थोरो काफी प्रबल प्रभाव था। उनका कहना था कि वह शासन सबसे अच्छा होता हैए जो लोगों के काम में कम.से.कम हस्तक्षेप करें। गांधी ब्रिटिश आदर्शवादी विचारकए थॉमस हिल ग्रीन के विचार से भी सहमत है कि राज्य का कार्य तो लोगों के रास्ते में आने वाली बाधाओं को दूर करना हैए ना कि राज्य लोगों के रास्ते में खुद एक बाधा बनकर खड़ा हो जाए। गांधीए थोरो व ग्रीन दोनों के विचारों से सहमत थे क्योंकि यह गांधी की अपनी आध्यात्मिक विचारधारा के अनुकूल था। गांधी की मान्यता थी कि हर व्यक्ति में अपनी आत्मा और अपने तर्क अथवा विवेक का अनुसरण करने की असीम क्षमता होती है जिसके द्वारा वहए यदि चाहेए तो अधिक.से.अधिक आत्मनिर्भर होकर स्वयं ही अपनाए अपने परिवार तथा अपने राष्ट्र की गतिविधियों का संचालन अथवा मार्गदर्शन कर सकता है। एक आदर्श राज्य या समाज वही होगा जो हर व्यक्ति को अपनी आत्मा और विवेक का अनुसरण करने का अधिक.से.अधिक अवसर प्रदान करें। राज्य को तो केवल लोगों के रास्ते की रुकावटें दूर करनी चाहिएए चाहे वह जीवन के किसी भी क्षेत्र में हो जिससे कि हर व्यक्ति स्वयं अपनी आत्मा की आवाज व तर्क के आधार पर अपना रास्ता चुन सके और उस पर जैसे चाहेए जितनी रफ्तार से चाहे चल सके।

हैरोल्ड लास्की की तरहए गांधी भी इस कथन को सही मानते थे कि यदि राज्य केवल लोगों के रास्ते में पड़ने वाली बाधाओं को भी दूर करता रहेगाए तो जनकल्याण की दिशा में उसकी भूमिका मात्र नकारात्मक रह जाएगी। राज्य को एक सकारात्मक भूमिका भी निभानी चाहिए। गांधीए लास्की की इस बात से सहमत थे कि राज्य को ऐसे हालात भी पैदा करने चाहिएए जिनमें लोगों अपने व्यक्तित्व का अधिकतम विकास कर पाए। उदाहरण के तौर परए यदि शिक्षा के क्षेत्र में राज्य अपने सामने यह आदर्श लेकर चलता है कि सभी लोगों को शिक्षा मिलेए जिससे कि सभी नागरिक अधिक.से.अधिक जागरूक हो सकेंए तो उसके लिए केवल यही काफी नहीं होगा कि शिक्षा निशुल्क कर दी जाए। इसके साथ.साथए कल्याणकारी राज्य को हर गांव व शहर में स्कूल व कॉलेज खोलने पड़ेंगे और उनमें सभी संभव तथा आवश्यक विषयो के पढ़नेदृपढ़ाने की समुचित व्यवस्था भी करनी पड़ेगी। गांधी की अपेक्षा थी कि कल्याणकारी दिशा में चलने वाला राज्यए सभी लोगों के रास्ते से ना केवल बाधाओं को हटाएगाए बल्कि ऐसे समुचित अवसर भी प्रदान करेगा जिससे लोग अपने.अपने जीवन के मनचाहे क्षेत्रों में अधिकाधिक विकास करते जाए। राज्य के करने योग्य कार्य बहुत ही कम होंगे और कम.से.कम होते चले जाएंगे ताकि लोग अधिक.से.अधिक आत्मनिर्भर और स्वावलंबी हो जाए। हो सकता है कि इस प्रक्रिया में कभी ऐसी अवस्था भी आ जाए कि लोग संपूर्ण रूप से आत्मनिर्भर हो जाए और उन्हें राज्य के ऊपर निर्भर रहने की आवश्यकता ही ना पड़े। जब यह अवस्था आ जाएगीए तो ऐसे राज्यविहीन समाज की स्थापना हो जाएगीए जिसकी कभीए अपनी.अपनी तरह रूसो और कार्ल मार्क्स ने परिकल्पना

की थी और जिसे गांधी ने ष्आत्मा का राज्यष्ए ष्परमात्मा का राज्यष्ए ष्अहिंसा का राज्यष् और ष्रामराज्यष् का नाम दिया था।

कल्याणकारी राज्य के कार्य

कल्याणकारी राज्य के कार्य के व्यापक लक्ष्य को सामने रखते हुएए गांधी ने विभिन्न अवसरों पर राज्य के विभिन्न कार्यों का उल्लेख किया। गांधी ने राज्य के जो कार्य बताएं उनमें से अनेक सामाजिकए शैक्षिकए आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों के संदर्भ में थे जिनसे उन्होंने अपने 55 वर्ष के सार्वजनिक जीवन में संघर्ष किया। इनमें से कुछ कार्य आज शायद हमें उतने प्रसांगिक नहीं लगेंगे परंतु तत्कालीन समय की परिस्थितियों में ये उचित थे। तो वहीं दूसरीए ओर कुछ कार्य गांधी के अध्यात्मिक दर्शन से जुड़े होने के कारण आम व्यक्ति को कुछ अजीब से लग सकते हैं। गांधी ने अनेक ऐसे कार्य तथा उनसे संबंधित सिद्धांत का प्रतिपादन कियाए जिनकी तत्कालीन समय में भी आवश्यकता थी और आज भी है। यहां पर यह बात ध्यान में रखने योग्य है कि गांधी ने जिन कार्यों का वर्णन किया है जरूरी नहीं कि राज्य वह सब कार्य करें। गांधी के कल्याणकारी राज्य के कार्यों की सूची अंतिम सूची नहीं है। इसे जनकल्याण का उद्देश्य अपने समक्ष रखना चाहिए और इनमें से वो कार्य अवश्य करने चाहिए जिनकी वर्तमान समय में प्रसंगिकता व आवश्यकता हो।

गांधी ने कल्याणकारी राज्य के जिन कार्यों का उल्लेख किया हैए उनको मुख्य रूप से छह भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है

1 **संरक्षणात्मक कार्य**

गांधी के रामराज्य अथवा शासन मुक्त समाज में ना तो पुलिस की आवश्यकता होगीए और ना ही सेना की। लेकिन जब तक रामराज्य नहीं आ जाताए तब तक गांधी मानते थे कि पुलिस की भी जरूरत पड़ेगी और सेना की भीए क्योंकि राज्य का नागरिकों के प्रति सर्वप्रथम उत्तरदायित्व है कि वह उनको शारीरिक संरक्षण प्रदान करें। यह और बात है कि जैसे जैसे लोगों की नैतिकता का विकास होगा और जितना ज्यादा वह अहिंसा के रास्ते पर चलेंगे और हिंसा का परित्याग करेंगे तो उन्हें पुलिस और सेना की आवश्यकता कम.से.कम पड़ेगी और जब लोगों की पूरी तरह अहिंसा व शांति में आस्था हो जाएगी तब पुलिस और सेना की आवश्यकता रहेगी ही नहीं। लॉक और रूसो की भांति गांधी भी मानते थे कि समाज में शांति पसंद और अहिंसा के रास्ते पर चलने वालों का बहुमत बहुत ज्यादा भी हो जाए तो भी कुछ लोग ऐसे अवश्य रहेंगे जो किसी.न.किसी तरह अपराध का सहारा लेंगे। और ऐसे में शांतिप्रिय बहुमत का बचाव करने के लिए पुलिस की आवश्यकता होगी। यदि कहीं महामारी फैल जाएं या कोई बाढ़ या सूखे जैसी अवस्था आ जाए

तो उससे लोगों की रक्षा करने के लिए भी पुलिस और सेना की जरूरत पड़ेगी। हाल ही में वैश्विक पटल पर हम लोग महामारी के रूप में कोविड.19 का प्रकोप देख रहे हैंए ऐसे में भारत सरकार ने कल्याणकारी राज्य के रूप में जन.स्वास्थ्य व सुरक्षा हेतु युद्ध स्तर पर कार्य करना प्रारंभ कर दिया है जिसमें पुलिस व सेना द्वारा सरकार को पर्याप्त सहयोग दिया जा रहा है।

गांधी सेना की भी अनिवार्यता को स्वीकार करते हैं क्योंकि इसके बिना युद्ध और सीमा पर होने वाले बाह्य आक्रमण से देश की रक्षा नहीं की जा सकती। इस कार्य में सेनाए नौसेना व वायु सेना तीनों की आवश्यकता पड़ेगी। गांधी की मान्यता थी कि जैसे अन्य सरकारी कर्मचारियों को नियमित कार्य के लिए नियमित वेतन दिया जाता हैए वैसे ही नियमित वेतन के बदले पुलिस और सेना से भी नियमित रूप से कार्य लिया जाए जिससे कि सार्वजनिक धन का दुरुपयोग ना हो। उदाहरण के तौर पर गांधी ने ऐसे अनेक कार्य बताएं जो पुलिस और सेना से उस समय लिए जा सकते हैं जबकि उनकी सुरक्षात्मक कार्यों के लिए आवश्यकता ना हो। इसमें भी कितना काम लिया जाएगाए इस बात पर निर्भर करेगा कि उसकी योग्यता और अनुभव क्या हैघ् जिन कार्यों का वर्णन गांधी ने दिया हैए वह निम्नलिखित हैः

1 निरक्षरो को साक्षर बनाने के लिए साक्षरता आंदोलन चलानाय

2 सार्वजनिक उद्यानों में फुल व पेड़द्दपौधे लगाना।

3 गांव में खेती और सिंचाई संबंधी कार्यों में हाथ बटाना।

4 स्वच्छता अभियान में अपना योगदान देना।

पुलिस तथा सेना कीए खाली समय में एक समाज सेवक और समाज सुधारक की भूमिका होनी चाहिए। पुलिस व सेना का हर कर्मचारी व अफसर जनता की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहे। लोग इनसे डरे नहीं बल्कि आवश्यकता पड़ने पर उनसे सुरक्षित सहयोग की अपेक्षा रखें। गांधी तो मानते थे कि सेना और पुलिस के हर अफसर और जवान के दिल में यह विचार उठे की उसके हाथ पर यह लिखा हो ष्ष्क्या मैं आपकी सेवा कर सकता हूं इस प्रकारए गांधी के कल्याणकारी राज्य की पुलिस व सेना ना केवल सुरक्षा का काम करेगी बल्कि खाली समय पर जनता की शिक्षा, सहयोग व स्वच्छता के काम में भी हाथ बताएगी जिससे कि उन्हें नियमित रूप से दिए जाने वाले वेतन को न्यायोचित ठहराया जा सके।

2 **प्रतिबंधात्मक कार्य**

ग्रीन की भांति गांधी भी है मानते थे कि राज्य का लक्ष्य नागरिकों के रास्ते में आने वाली बाधाओं को दूर करना होना चाहिएए उदाहरण के तौर पर राज्य को इस प्रकार से कार्य करना चाहिए जो व्यक्ति को अनैतिक होने से बचा सके और वह सब कार्य कर सकें जो उसकी नैतिकता का स्तर ऊंचा उठाते हो। गांधीजी के अनुसारए कल्याणकारी राज्य को निम्न प्रकार के कार्यों का निर्वहन करना चाहिए।

1. राज्य कानून बनाकर रंगभेद की नीति को समाप्त करेंए सांप्रदायिक भेदभाव व जातिवाद से उत्पन्न होने वाले असमानता तथा लिंग आधारित भेदभाव को समाप्त करें।
2. राज्य कानून बनाकरए वेश्यावृत्ति तथा देवदासी जैसे अनैतिक व शोषणकारी व्यवस्था पर प्रतिबंध लगाए।
3. राज्य ऐसे साहित्य के प्रकाशन और उसकी बिक्री पर प्रतिबंध लगाए जो अश्लीलताए संप्रदायिकताए जातिवादए हिंसा व वैमनस्य को बढ़ावा देते हो।
4. राज्य शराबए सिगरेटए सिगार जैसे नशीले पदार्थों के निर्माण व बिक्री पर प्रतिबंध लगाए। इनके स्थान पर राज्य फलों और सब्जियों तथा इनके रस की बिक्री के काम को प्रोत्साहन दें।

3 **आर्थिक कार्य**

राज्य न केवल लोगों की रोटीए कपड़े और मकान की आवश्यकता की पूर्ति करें बल्कि उन्हें बीमारीए अशिक्षा व बेरोजगारी से भी बचाएं। इस तत्कालिक उद्देश्य को सामने रखते हुए राज्य निम्नलिखित प्रकार के कार्य करेंय

1. कल्याणकारी राज्य प्रत्येक नागरिक को रोजगार के समुचित अवसर प्रदान कराएं जिससे हर व्यक्ति अपने शारीरिक श्रम से अपने शरीर की आवश्यकता को पूरा कर पाए। राज्य ष्लघु उद्योग धंधोंष् को खोलने के लिए नागरिकों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाएं।
2. राज्य सार्वजनिक क्षेत्र मेंए काम के ज्यादा.से.ज्यादा अवसर पैदा करें जिससे कि उन सब लोगों को जो स्वयं काम.धंधा ना शुरू कर सकते हो उन्हें अधिक.से.अधिक काम के समुचित अवसर मिल सके।
3. गांधी खेतिहर भूमि के राष्ट्रीयकरण और समाजीकरण के पक्ष में थेए जिससे की खेतीबाड़ी और सिंचाई का काम सामूहिक रूप से हो सकेए पैदावार बढ़े और खेतिहर मजदूर को अपने श्रम का पूरा लाभ मिले।
4. इसी प्रकार गांधी यह भी चाहते थे कि बड़े.बड़े उद्योग धंधों तथा सभी सार्वजनिक सेवाओं का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाएए जिससे इन सुविधाओं का जनकल्याण के लिए विस्तार हो सके और अधिकतम लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सके।

5. आमतौर पर यह माना जाता है कि गांधीजी मशीनीकरण के विरुद्ध थेए किंतु यह गलत है। वे स्वयं मनुष्य के शरीर को ईश्वर के द्वारा बनाई गई बेहतरीन मशीन मानते थे। वह कपड़ा मिलोंए अनाज मिलोंए तेल मिलों जैसे उद्योग धंधों के विरुद्ध नहीं थे। वे तो उस मशीनीकरण के विरुद्ध थे जो भारत जैसे देश मेंए जहां सत्तर फीसदी लोग बेरोजगार थे उनकी बेरोजगारी इससे बढ़ती। आज यदि मशीन के बगैर किसी काम को यदि 10 लोग करते थेए तो वहीं काम मशीन लग जाने के बाद 2 लोगों के द्वारा लिया जा सकता है और इससे बेकार लोगों की संख्या में बढ़ोतरी हो जाएगी।
6. अंतरराष्ट्रीय व्यापार भी गांधी सार्वजनिक हित में राज्य के एकाधिकार में रखना चाहते थे।
7. राज्य का एक आधारभूत कार्य है कर लगाना और उनकी वसूली करना। गांधी ने राज्य की कर नीति के संदर्भ में एक व्यावहारिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। वे चाहते थे कि राज्य हर वर्ग पर उतना कर लगाएंए जिसे अदा करना उसके सामर्थ्य में हो। उनके इस सिद्धांत के अनुरूप राज्य जितने कम.से.कम कर लगाएगाए उतना ही ज्यादा धन वह राज्य के कार्य के लिए वसूल कर पाएगा।

गांधी ने राज्य के कर लगाने की शक्ति पर कुछ सार्वजनिक हित में प्रतिबंध भी सुझाएं। उदाहरण के तौर पररू.

1. नमक जैसी अनिवार्य उपभोग की वस्तुओं पर राज्य कोई कर ना लगाएं क्योंकि इनका उपयोग समाज के सभी वर्गए चाहे अमीर हो या गरीबए पुरुष हो या स्त्री सभी सामान्य रूप से करते हैं। 1930 के नमक आंदोलन का भी यही तत्कालिक लक्ष्य था।
2. गांधी का कल्याणकारी राज्य एक ष्धर्मनिरपेक्ष राज्यष् होगाए राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। सभी धर्मों और उसके मानने वालों की समानता में राज्य की आस्था होगी। किसी भी धर्म या पूजा स्थल को प्रोत्साहन देना या उसका निर्माण करना धर्मनिरपेक्ष राज्य का कार्य नहीं है। इसलिए राज्य ऐसा कोई धार्मिक कर नहीं लगाए जिससे किसी धर्म-विशेष को प्रोत्साहन मिलता हो।
3. भारत जैसे विशाल देश में जहां अधिकतर लोग निरक्षर हैए सरकार सभी प्रकार की शिक्षा को प्रोत्साहन देए ना कि शिक्षा पर कोई कर लगाएं।
4. गांव और शहरों को साफ सुथरा रखनाए आकर्षक बनाना राज्य का उत्तरदायित्व है और यह उसकी प्राथमिकता में होना चाहिए।
5. शैक्षिक उत्तरदायित्व

शिक्षा के क्षेत्र में गांधी ने राज्य के कार्यों को तीन उपक्षेत्रों में वर्गीकृत किया हैः.

1. निरक्षरता दूर करने का कार्य
2. प्राथमिक शिक्षा का कार्यय तथा
3. उच्च शिक्षा का कार्य

सामाजिक और राष्ट्रीय विकास के दृष्टिकोण से गांधी साक्षरता तथा प्राथमिक शिक्षा दोनों को अनिवार्य मानते थेए जिससे भारत फिर से विकसित और प्रबुद्ध देशों की गिनती में आ जाएं और उसका जो विश्व के आध्यात्मिक गुरु का पहले कभी दर्जा थाए वह उसे पुनः प्राप्त हो सके। इसके लिए गांधी शिक्षा की एक ऐसी योजना बताते हैं जिसमें लोग ना केवल साक्षर बन सके बल्कि 7 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी लड़के व लड़कियों को शिक्षा मुफ्त व अनिवार्य रूप से मिल सके। जो माता.पिता अपने बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल ना भेजे उनके लिए ऐसे दंड की व्यवस्था भी की जाए जिससे ना केवल उन्हेंए बल्कि उन जैसे अन्य लोगों को भीए अपने बच्चों को स्कूल भेजने की समुचित प्रेरणा मिल पाए। ऐसा करना वह भारत को पढ़े लिखे लोगों के राष्ट्र का स्थान दिलाने के लिए आवश्यक मानते थे। गांधी मानते थे कि 7 वर्ष की आयु तक प्रारंभिक शिक्षा घर पर हो और 7 से 14 वर्ष के शिक्षा विद्यालयों में दी जाए। इस दौरान जो शिक्षा दी जाए वह व्यवसायिक प्रकृति की हो जिसे 14 साल की उम्र के पश्चात विद्यार्थी इतना ज्ञान और अनुभव अजीत कर ले कि वह कहीं भी नौकरी करकेए छोटा.मोटा उद्योग धंधा खोल करए अपना जीवनयापन कर सके और आर्थिक रूप से किसी पर भी निर्भर न हो। गांधी यह भी मानते थे कि शिक्षा प्रदान करना राज्य का नागरिक के प्रति दायित्व है। इसलिए शिक्षा सभी स्तरों पर निशुल्कः दी जानी चाहिए। लेकिन लोगों की पढ़ाई लिखाई का सारा बोझ गांधी केवल राज्य पर ही नहीं डालना चाहते। राज्य तो केवल इतने लोगों की उच्च शिक्षा और प्रशिक्षण का भार अपने ऊपर लेगा जिनकी राज्य को आवश्यकता हो।

5 **राजनीतिक कार्य**

राजनीति क्षेत्र में गांधी कल्याणकारी राज्य से जिस प्रकार के उत्तरदायित्व को पूरा करने की अपेक्षा करेंगे वह निम्नलिखित हैः.

1. राज्य नागरिकों की सुरक्षाए स्वास्थ्य और खुशहाली का ध्यान रखें।
2. पिछड़े वर्गों के लोगों के कल्याण के लिए तत्पर रहें।
3. जन शिकायतों के निवारण हेतु तत्पर रहें।
4. कोई भी कानून बनानेए नीति निर्धारण करनेए अथवा कार्यक्रम बनाने से पहले उसके पक्ष में जनमत को तैयार किया जाए।
5. विभिन्न धर्म संप्रदायोंए जातियों व वर्गों के बीच बेहतरीन संबंधों को बनाए और उनके आपसी विवादों के शांतिपूर्ण समाधान को प्रोत्साहित करें।
6. विधानमंडल व जनकल्याण के लिए कानून बनाने की पहल करेंए लोगों के संघर्ष और आंदोलन की प्रतीक्षा ना करता रहे।
7. न्यायपालिका निष्पक्ष रहे और लोगों को तुरंत और निशुल्क न्याय दिया जाए।

गांधी वसुधैव कुटुंबकम के प्राचीन भारत के आदर्श में आस्था रखते थे और इस लक्ष्य के अनुरूप को विश्व सरकार की स्थापना को संभव मानते थे। वह चाहते थे कि राष्ट्र अपनी छदम संप्रभुता को छोड़करए पारस्परिक निर्भरता को पहचाने और उसके अनुरूप सभी राष्ट्र मिलकर परस्पर सहयोग से सारे विश्व के लोगों के समान कल्याण के लिए कार्य करें। इस दिशा में उन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ से बड़ी आशाएं थी जिसके संगठन और कार्य में वह विश्व सरकार की धुंधली सी झलक देखते थे। इन आदर्शों की पूर्ति के लिए वे चाहते थे कि अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में राज्य अपने निम्नलिखित उत्तरदायित्व की पूर्ति करें

1. संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग करें और उनका पोषण करें।
2. अंतरराष्ट्रीय सहयोगए शांति और सुरक्षा की दिशा में कार्य करें।
3. निशस्त्रीकरण तथा नैतिक शास्त्रीकरण की दिशा में कार्य करें।
4. एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ युद्ध ना करेंए उस पर आक्रमण ना करें और अंतरराष्ट्रीय विवादों का अहिंसात्मक समाधान ढूंढा जाए।
5. विदेशों में रह रहे नागरिकों के हितों की रक्षा की जाए।
6. जरूरत के समयए पड़ोसी राष्ट्रों की सहायता करेंय तथा
7. शांति, स्वतंत्रता तथा लोकतंत्र को बढ़ावा देने की दिशा मेंए विश्व के सभी राष्ट्रों के साथ सहयोग करें।

कल्याणकारी राज्य के क्षेत्राधिकार का सीमांकन

कुछ कार्यों को गांधीजी कल्याणकारी राज्य के कार्य क्षेत्र से बाहर रखना चाहते थे। उदाहरण के तौर परए वह थोरो के इस विचार से सहमत थे कि राज्य किसी व्यक्ति के शरीर को तो जेल में डाल सकता है लेकिन उसकी आत्मा या मस्तिष्क को नहीं। वह थोरों की इस बात से भी सहमत थे कि राज्य लोगों को नैतिकता के रास्ते पर चलने के लिए प्रोत्साहित तो कर सकता है लेकिन किसी को जबरदस्ती भला या बुरा नहीं बना सकता क्योंकि लोग भले या बुरे बनते हैं अपनी इच्छा सेए अपनी परिस्थितियों से। राज्य को कल्याणकारी नीतियों के नाम पर लोगों के धर्म और धार्मिक मामलों में दखल नहीं देना चाहिए क्योंकि धर्म परमात्मा तथा आत्मा के बीच एक निजी संबंध है। यदि कल्याणकारी राज्य के कार्य और उसका आचरण इस प्रकार का होगा कि वह ऐसे सारे काम करें जिससे लोगों के रास्ते में आने वाली बाधाओं को दूर किया जा सके और ऐसी परिस्थितियां भी पैदा की जाए जिनमें हर व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के विकास का रास्ता स्वयं चुन सके और जनहित को ध्यान में रखते हुएए उस पर जैसा उचित समझें चल सकेए तो राज्य ना केवल नागरिकों के प्रति अपने सर्वमुखी उत्तरदायित्व को निभा लेगा बल्कि सर्वोदय का मार्ग भी प्रशस्त कर देगा।

संक्षेप में कहा जा सकता हैए की कल्याणकारी राज्य का गांधीवादी परिप्रेक्ष्य बहुत व्यापक है। इसमें कल्याणकारी राज्य के निहित तत्व को समाहित करते हुए गांधी जी ने सत्याग्रह व अहिंसाए साध्य व साधनों के नैतिक औचित्यए न्यासिता; ट्रस्टीशिपद्ध के विचार के साथ-साथ अनेक पाश्चात्य चिंतकों के विचारों का अध्ययन करने के उपरांत राजनीतिक सिद्धांत के मानकीय व अनुभाविक उपागम का सहारा लेते हुए एक ऐसे आदर्शवादी कल्याणकारी राज्य की रूपरेखा प्रस्तुत की जो आज के तत्कालीन समय में भी बहुत प्रसांगिक है।